

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020—आश्विन 23, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 267-एफ 1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-ख, 292-ग, 292-ड सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग एवं 339-ड सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 15-क विलोपित किया जाए.

Noti. No. 267-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 292-B, 292-C and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 339-A, 339-B, 339-C and 339-E of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizer, terms and conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

1. In the said rules, rule 15-A shall be deleted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.